भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/04/11/2018/एफ.सी./255 दिनॉक: 06.07.2018

सेवा में,

शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/TRANS/28622/2017

विषय: Diversion of 13.015 ha. of forest land in favour of NRSSXXXVI, Transmission Ltd., New Delhi for construction of 400 KV D/C Babai (RRVPNL)- Bhiwani (PGCIL) Transmission Line in Jhunjhunu District.

सन्दर्भः सचिव (वन), राजस्थान शासन, जयपुर का पत्रांक – एफ.1 (फॉरेस्ट)/2018, दिनांक– 07.06.2018

महोदय,

इस प्रस्ताव पर क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक-18.05.2018 एवं दिनांक-04.07.2018 पर चर्चा हुई। दिनांक-18.05.2018 के चर्चानुसार REC का निर्णय निम्नलिखित था-

1.Submission of two separate enumeration list for trees affected and trees to be failed.

2.Submission of 'Wildlife Clearance' from National Board of Wildlife(NBWL) with reference to area falling in Bansiyal Khetri conservation reserve.

पुनः राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर पत्रांक प.1(20)वन/2018 दिनांक 03.07.2018 द्वारा अनुपालना आने पर क्षेत्रीय सशक्त समिति में दिनांक 04.07.2018 को चर्चा हुई जिसका निर्णय निम्न है-

1. In the light of MoEF guidelines No. 11-327/2015-FC dated 14-08-2015, the proposal was approved for the areas falling outside conservation reserve. The diversion of the forest land within the conservation reserve shall be considered only after the recommendation of NBWL is received from State Govt.

प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु प्रस्तावित 13.015 हे0 (56 वृक्षों एवं 12 पोल) के प्रत्यावर्तन में केवल 5.563 हे0 (Khetri PF के 34 वृक्षों एवं 6 पोल) की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है एवं शेष Bansial Conservation Reserve में सम्मिलित वनभूमि की स्वीकृति NBWL की संस्तुति के पश्चात् ही प्रदान की जायेगीः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि (13.015 x2=26.030 ha.) अर्थात 26.030 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवष्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

6/7/18

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. The compliance of condition no. (ii) may be dealt in the light of MoEF & CC guideline vide their letter no. F.No. 11-327/2015-FC dated 18.08.2015. The state government may allow the work only the forest area falling outside the protected area 5.563 ha (total proposed 13.015 ha). No work should be allowed in the area falling within the protected area. If may violation takes place the concerned forest officer would be responsible for that. The state government should convey to this office about decision of NWLB regarding wildlife clearance for the area falling within the protected area. Thereafter only, the approval in principle should be applicable in the protected area in this matter.

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

10. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

11. परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक– 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या एवं वांछित वचनवद्धता प्रमाण पत्र (अण्डरटेकिंग) इस कार्यालय को प्राप्त होने के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

6/7/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान
4. उप वन संरक्षक, झुनझुनु, राजस्थान।
5. NRSS XXXVI Transmission Ltd., A26/3, Mohan Cooperative Industrial Estate, Sarita Vihar, New Delhi
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)